न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 106/2021
निर्णय दिनांक :..13/4/2022

1 चमनलाल पुत्र स्व0 श्री देवबक्श जाति निवासी ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1 श्रीमती मांगी देवी पत्नी स्व0 श्री भूराराम
2 श्योजीराम पुत्र स्व0 श्री भूराराम
3 हनुमान पुत्र स्व0 श्री भूराराम
4 श्रीमती लडडू पत्नी स्व0 श्री जगदीश
5 रेखा पुत्री स्व0 श्री जगदीश
6 रूकमणी पुत्री स्व0 श्री जगदीश
7 अर्चना पुत्री स्व0 श्री जगदीश
8 कवीता पुत्री स्व0 श्री जगदीश नाबालिक जरिये सरक्षंक माता श्रीमती लडडू देवी
9 श्रीमती सूजा देवी पत्नी स्व0 श्री रामनाथ
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
10 श्रीमती रामफूल पुत्री स्व0 श्री रामनाथ पत्नी श्री हीरालाल जाति जाट निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
11 रामूलाल पुत्र श्री घासीराम
12 भवानी पुत्र श्री घासीराम
13 श्रीमती पांची देवी पत्नी महादेव
14 रामअवतार पुत्र श्री महादेव
15 श्रीमती ज्याना देवी पत्नी श्री तेजाराम
16 बाबूलाल पुत्र श्री तेजाराम
17 रूपनारायण पुत्र श्री तेजाराम
18 मदनलाल पुत्र श्री तेजाराम
19 गोपाल पुत्र श्री तेजाराम
20 लल्लू पुत्र श्री तेजाराम
21 केसर देवी पत्नी स्व0 श्री रामजीलाल
22 मानसिंह पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल
23 राजपाल पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल
24 जगन्नाथ पुत्र श्री चन्द्रा
24/1 शिवकरण पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ
24/2 पर लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ (फौत)
24/2/1 सुरेश पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण
समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
24/2/2 श्रीमती सीता पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी श्री सुरेश जाति जाट निवासी ग्राम जोतडावाला तहसील सांगानर जिला जयपुर
24/2/3 श्रीमती सुमन पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी श्री रामप्रकाश जाति जाट नवासी ग्राम हाथोज, कालवाड रोड जिला जयपुर
24/2/4 श्रीमती रीना पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी श्री ... जाति जाट निवासी ग्राम हाथोज, कालवाड रोड जिला जयपुर
24/2/5 श्रीमती सुनिता पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी श्री ... सिंह जाति जाट निवासी ग्राम निमेडा, तहसील झोटवाड़ा जिला जयपुर
24/2/6 श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
24/3 भोलू पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

2022, 18:43

24/4 रामकरण पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ
24/5 पर रामकल्याण पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ
24/6 प्रकाश पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ
24/7 पर रामरतन पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ
24/8 पर श्रीमती धापू देवी पत्नी स्व0 श्री जगन्नाथ
समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
24/9 पर शान्ति देवी पत्नी छीतर पुत्री स्व0 जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम किशनपुरा पोस्ट रेनवाल मांझी तहसील फागी जिला जयपुर
24/10 श्रीमत नौरती देवी पत्नी कानाराम पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ
24/11 नाना देवी पत्नी सुजाराम पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ
समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम चिमनपुरा पोस्ट भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
24/12 श्रीमती मनभर देवी पत्नी लालाराम पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम पिपला पोस्ट चितौडा तहसील फागी जिला जयपुर
25 राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान
भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर मे निवास करते हैं तथा आपस मे पड़ोसी काश्तकार है। प्रार्थी की साबिक आराजी कृषि भूमि खसरा न0 16 रकबा 17 बिघा 4 बिस्वा वाके ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित थी जो प्रार्थी के पूर्व अधिकारी देवबक्श, रामनारायण पुत्र रतना के नाम से जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सवतं 2022 से 2025 मे राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। प्रार्थी की उक्त साबिक खसरा न0 16 के हाल खसरा न0 158 रकबा 2.52 है0, खसरा न0 164 रकबा 0.69 है0, खसरा न0 165 रकबा 0.10 है0, खसरा न0 156/574 रकबा 0.60 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.91 है0 बने। जिसमे से खसरा न0 156/574 रकबा 0.60 है0 अप्रार्थी सख्या एक लगायत चौवीस के खातेदारी मे शामील कर दिया गया। प्रार्थी के पूर्वधिकारी देवबक्श, रामनारायण पुत्र स्व0 श्री रतना का देहान्त हो चूका है तथा इसने वारिसो ने आपसी सहमति से उनके नाम की सम्पूर्ण आराजीयात का विधिक बटवारां करवा लिया है बटवारें के अनुसार खसरा न0 156/574 रकबा 0.60 है0 प्रार्थी के हिस्से मे आया है जिसके सम्बन्ध मे कोई विवाद नही है। अप्रार्थीगण के साबिक आरजी कृषि भूमि खसरा न0 17 रकबा 15 बिघा 16 बिस्वा वाके ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। जो अप्रार्थीगण के पूर्व अधिकारी घासीराम वल्द चुन्याराम, रामदेव वल्द चन्द्रा, तेजा पुत्र मांगु के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। अप्रार्थी सख्या एक लगायत चौवीस की साबिक आराजी कृषि भूमि खसरा न0 17 रकबा 15 बिघा 16 बिस्वा के हाल खसरा न0 161/576/612 रकबा 0.20 है0, खसरा न0 159 रकबा 0.26 है0, खसरा 160 रकबा 0.92 है0, खसरा न0 161 रकबा 0.97 है0, खसरा न0 162 रकबा 1.18 है0, खसरा न0 163 रकबा 0.16 है0, खसरा न0 158/575 रकबा 0.35 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 4.04 है0 बने। जिसमे अप्रार्थी सख्या एक लगायत चौवीस के खसरा न0 159 रकबा 0.26 है0, खसरा न0 158/575 रकबा 0.35 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

खातेदारी मे शामिल कर दिये गये। प्रार्थी के साबिक खसरा न0 16 से बने हाल खसरा न0 156/574 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है। तथा खसरा न0 159 रकबा 0.26 है0, खसरा न0 158/575 रकबा 0.35 पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी को उक्त खसरा न0 156/574 रकबा 0.60 है0 जो कि प्रार्थी की भूमि दौराने सेटलमैन्ट अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित हो गयी तथा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा न0 159 रकबा 0.26 है0 व खसरा न0 158/575 रकबा 0.35 है0 प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित हो गयी। इस बात का पता राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने से हुआ तो प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बरान की दुरूस्त करने के लिए दिनांक 9/7/17 को अप्रार्थीगण को कहा तो अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी सख्या 25 के यहा पर दिनांक 11/7/2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो अप्रार्थी संख्या 25 ने कहा कि उक्त दुरूस्ती के लिए आपको श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पडेगां। इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय मे पेश करना लाजमी हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के साबिक खसरा न0 16 से बने हाल खसरा न0 156/574 रकबा 0.60 है0, वाके ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर जो अप्रार्थी सख्या एक लगायत चौवीस के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दी को वापस अप्रार्थीगण के नाम से हटा कर प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दुरूस्त किया जावे। इसी प्रकार अप्रार्थी सख्या एक लगायत चौवीस की भूमि जो कि साबिक खसरा न0 17 से बने हाल खसरा न0 159 रकबा 0.26 है0, व खसरा न0 159/575 रकबा 0.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दी को हटाकर अप्रार्थी सख्या एक लगयायत चौवीस के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दुरूस्त की जावे।

पत्रावली दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 22.09.2017 को पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। नोटिस बाद तामिल प्राप्त शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 15 लगायत 23 की ओर से एडवोकेट श्री उमेश पारीक ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2, 5 लगायत 8, 11, 12 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 06.10.2017 को पत्रावली पेश हुई, अप्रार्थी संख्या 16 लगायत 20 व 22, 23 की ओर से प्रार्थना पत्र 136 का जवाब पेश किया। नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। दिनांक 08.07.2019 को पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 16 लगायत 20 व 22, 23 की ओर प्रार्थना पत्र का जवाब मय [illegible] कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने [illegible] बनाया है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं [illegible] उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.ए. की परिधी में नही आता है। खसरा नम्बर 156/574 पर अप्रार्थीगण अर्से दराज से काबिज है जिस पर अप्रार्थीगण से पूर्व से पुख्ता मकानात तथा वर्तमान में विगत 50 वर्षो से पक्के मकानात बनये हुए है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

जिस पर अप्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास करते है। उक्त खसरे की भूमि खसरा नम्बर 159 व 158/575 की भूमि खसरा नम्बर 156/574 से काफी उचाई पर हैं। जिस पर अर्से से प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि धारा 136 एल. आर.ए. की परिधि में न होने के कारण से मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार सांगानेर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो पत्रावली में शामिल मिसल है। तहसीलदार सांगानेर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के गत खसरा खसरा न0 16 रकबा 17 बिघा 4 बिस्वा जमाबन्दी सवतं 2022 से 2025 में देवबक्श, रामनारायण पुत्र रतना कौम जाट सा. दे हके नाम दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के गत खसरा नम्बर 16 के हाल खसरा न0 158 रकबा 2.52 है0, खसरा न0 164 रकबा 0.69 है0, खसरा न0 165 रकबा 0.10 है0, खसरा न0 156/574 रकबा 0.60 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.91 है0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संख्या 2040–41 से बने है। खसरा न0 156/574 रकबा 0.60 है0 देवबक्श, रामनारायण पुत्र रतना कौम जाट सा. देह के बजाय घासीराम पुत्र चूनाराम, रामदेव पुत्र चन्दरा, तेजा पुत्र मांगू कौम जाट, सा. देह हि.ब. के नाम मिसल बंदोबस्त संख्या 2040–41 में दर्ज रिकार्ड हो गई। ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर गत खसरा नम्बर 17 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी जमाबन्दी 2022 से 2025 में घासीराम वल्द चून्याराम, रामदेव वल्द चन्दरा, तेजा वल्द मांगू कौम जाट सा0 देह के राम दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के गत खसरा नम्बर 17 के हाल खसरा नम्बर 161/576/612, 159, 160, 161, 162, 163, 158/575 किता 7 रकबा कुल 4.05 हैक्टेयर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संख्या 2040–41 बने है। हाल संख्या नम्बर 159, 158/575 किता 2 रकबा 0.61 हैक्टेयर घासीराम वल्द चूनाराम, रामदेव वल्द चन्दरा, तेजा वल्द मांगू कौम जाट, सा. देह के बजाय देवबक्श, रामनारायण पुत्र रतना कौम जाट सा. देह के नाम मिसल बंदोबस्त संख्या 2040–41 में दर्ज रिकार्ड हो गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 ज़ाप्ता दिवानी सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 24/12, 24/7, 24/10, 24/8, 24/19, 24/11, 24/2/3, 24/2/5, 24/2/2, 24/2/1, 24/2/4, 24/1, 24/2/6, 24/3, 24/5, 24/4, 24/6 की और से स्व प्रतिवादी तथा उनके पैरोकार कोई उपस्थित नही है। दिनांक 11.03.2022 को पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण संख्या ... 9, 10, 13, 14, 15, 21, 22, 23 बावजूद नोटिस तामील कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी संख्या 16 से 20 की ओर से कोई उपस्थित नही। वकील वादी की ओर से दिनांक 14.12.2020 को पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:49 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

2022, 18:43

नोट प्रेस किये जाने से खारिज किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस अन्तिम हेतु निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दौहराया और अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी के साबिक खसरा न0 16 से बने हाल खसरा न0 156/574 रकबा 0.60 है0, वाके ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर जो अप्रार्थी सख्या एक लगायत चौवीस के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दी को वापस अप्रार्थीगण के नाम से हटा कर प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दुरूस्त किया जावे। इसी प्रकार अप्रार्थी सख्या एक लगायत चौवीस की भूमि जो कि साबिक खसरा न0 17 से बने हाल खसरा न0 159 रकबा 0.26 है0, व खसरा न0 159/575 रकबा 0.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम नृहसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दी को हटाकर अप्रार्थी सख्या एक लगयायत चौवीस के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दुरूस्त की जावे।

हमने बहस प्रार्थी पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के गत खसरा खसरा न0 16 रकबा 17 बिघा 4 बिस्वा जमाबन्दी सवतं 2022 से 2025 में देवबक्श, रामनारायण पुत्र रतना कौम जाट सा. दे हके नाम दर्ज रिकार्ड थी। गत खसरा नम्बर 16 के हाल खसरा न0 158, 164, 165, 156/574 कुल किता 4 कुल रकबा 3.91 है0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संख्या 2040–41 से बने है। खसरा न0 156/574 रकबा 0.60 है0 देवबक्श, रामनारायण पुत्र रतना कौम जाट सा. देह के बजाय घासीराम पुत्र चूनाराम, रामदेव पुत्र चन्दरा, तेजा पुत्र मांगू कौम जाट, सा. देह हि.ब. के नाम मिसल बंदोबस्त संख्या 2040–41 में दर्ज रिकार्ड हो गई। ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर गत खसरा नम्बर 17 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी जमाबन्दी 2022 से 2025 में घासीराम वल्द चूंन्याराम, रामदेव वल्द चन्दरा, तेजा वल्द मांगू कौम जाट सा0 देह के राम दर्ज रिकार्ड थी। गत खसरा नम्बर 17 के हाल खसरा नम्बर 161/576/612, 159, 160, 161, 162, 163, 158/575 किता 7 रकबा कुल 4.05 हैक्टेयर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संख्या 2040–41 बने है। हाल संख्या नम्बर 159, 158/575 किता 2 रकबा 0.61 हैक्टेयर घासीराम वल्द चूनाराम, रामदेव वल्द चन्दरा, तेजा वल्द मांगू कौम जाट, सा. देह के बजाय देवबक्श, रामनारायण पुत्र रतना कौम जाट सा. देह के नाम मिसल बंदोबस्त संख्या 2040–41 में दर्ज रिकार्ड हो गई। उक्त तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश [illegible] 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायहित में स्वीकार कि[illegible] जा[illegible] ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर में स्थित प्रार्थी के साबिक खसरा न0 1[illegible] खसरा न0 156/574 रकबा 0.60 है0, जो अप्रार्थी सख्या [illegible]गायत चौवीस के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दिया को अप्रार्थ[illegible]ण के नाम से हटा कर प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे तथा अप्रार्थी सख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:49 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

18:43

एक लगायत चौवीस की भूमि जो कि साबिक खसरा न0 17 से बने हाल खसरा न0 159 रकबा 0.26 है0, व खसरा न0 159/575 रकबा 0.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी गई उसको हटा कर अप्रार्थीगण 1 लगायत 24 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...13/5/2022... खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:49 IST
Reason: SelfAttested